इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 15, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 31041-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक क्रमांक २५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१६ विषय-सूची.

खण्ड :

- १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- २. धारा २ का संशोधन.
- ३. धारा २० का संशोधन.
- ४. धारा ५० का संशोधन.
- ५. धारा ५६ का संशोधन.
- ६. विधिमान्यकरण.
- ७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेत् विधेयक.

भारत गणराज्य के सङ्सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१६ है.
 - (२) यह २६ अप्रैल, १९७३ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

- २. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-
 - खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-(एक)
 - ''विकास योजना'' से अभिप्रेत है, धारा १८ तथा १९ के अधीन तैयार तथा क्रियान्वयन में लाई गई योजना:":
 - खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-(दो)
 - ''(ण-१)''भूखण्ड'' से अभिप्रेत है, एक निश्चित आकृति तथा आकार का भूमि का कोई टुकड़ा तथा संचालक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित हो;".

२० धारा संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम की धारा २० इसकी उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित की जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित की गई उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:--
 - इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई परिक्षेत्रिक योजना उपधारा (१) "(२) के अधीन तैयार नहीं की जाती है, वहां पूर्व अधिसूचित और क्रियान्वित या क्रियान्वित की जा रही या अधिसुचित और क्रियान्वित की जाने वाली नगर विकास योजनाओं के लिए अध्याय-सात के अधीन उपबंधित शिक्तयों और कृत्यों का प्रयोग और पालन नगर विकास योजना के अनुसार किया जा सकेगा.''.

धारा ५० संशोधन.

- ४. मुल अधिनियम की धारा ५० में,-
 - उपधारा (४) में, शब्द "तथा उपधारा (५) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने (एक) के पश्चात'' का लोप किया जाए;
 - उपधारा (५) और (६) को विलोपित किया जाए. (दो)

धारा ५६ का संशोधन.

- ५. मल अधिनियम की धारा ५६ में विद्यमान परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान, पर कालन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''परंतु यह और भी कि भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए किसी भी समय पर की गई कोई कार्यवाही या इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी भू-अर्जन कार्यवाही में पारित किसी पंचाट को इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही या पारित किया गया पंचाट समझा जाएगा.''.

विधिमान्यकरण.

६. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संशोधन अधिनयम के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनयम के सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों तथा पारित किए गए आदेशों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे विधिमान्यत: की गई हैं या विधिमान्यत: पारित किए गए हैं मानो कि उक्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी बातों, कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के किए जाने तथा ऐसे आदेशों के पारित किए जाने के लिए सुसंगत संशोधित उपबंधों के अधीन विधिमान्यत: सशक्त किए गए थे और किसी भी ऐसी बात, कार्यवाही, कार्रवाई या आदेश की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मूल अधिनियम में इस निमित्त समर्थकारी उपबंधों के बिना समस्त बातें, कार्यवाहियां और कार्रवाइयां की गई थीं और आदेश पारित किए गए थे.

७. (१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् निरसन तथा २०१६) एतदुद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के प्रावधान अन्तर्गत प्रादेशिक योजनायें, विकास योजनायें एवं पिरक्षेत्रिक योजनायें तैयार कर प्रभावशील किया जाना प्रावधानित है. विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम की धारा ३८ में नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना की जाती है. अधिनियम की धारा ३८(२) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापनाओं को कार्योन्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने का कर्तव्य नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होता है जबिक धारा-२० के अन्तर्गत परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार करने का दायित्व स्थानीय निकाय को सौंपा गया है. अधिनियम की धारा ३८ एवं ५० में नगर विकास स्कीम लिये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिक योजना के अंगीकृत होने की कोई पूर्व शर्त उल्लेखित नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा ५०(१) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्योन्वित करने हेतु नगर विकास प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने की घोषणा की जा सकती है. अधिनियम में परिक्षेत्रिक योजनाओं एवं नगर विकास स्कीम के अंतर्संबंध को और अधिक स्पष्ट करने एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही नगर विकास स्कीमों तथा भविष्य में घोषित की जाने वाली नगर विकास स्कीमों के अबाधित कार्यान्वयन हेतु एवं जिन मामलों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है उनमें स्पष्टता लाने हेतु यह संशोधन प्रस्तावित है.

- २. अधिनियम में विकास योजना की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुये धारा-२ में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया गया है. भूखंड की परिभाषा भी धारा-२ में सम्मिलित कर भूमि, भूखंड एवं पुनर्गठित भूखंड से स्पष्ट किया जा रहा है.
- ३. प्राधिकरण की योजनायें वृहद् क्षेत्र की होने के कारण भू-अर्जन के प्रकरणों में लम्बे समय में की गई कार्यवाहियां मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के उद्देश्यों के लिये की गई मान्य किये जाने हेतु अधिनियम की धारा ५६ में यथा आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है.
- ४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर बिना किसी उपांतरण के राज्य विधान मंडल का एक अधिनियम लाया जाय.
 - ५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

तारीख : २८ नवम्बर, २०१६.

माया सिंह

भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ के अन्तर्गत प्रादेशिक योजनायें, विकास योजनायें एवं परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार कर प्रभावशील किया जाना प्रावधानित है. अधिनियम की धारा ३८(२) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना की प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने का कर्तव्य नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निहित होता है. जबिक धारा-२० के अन्तर्गत परिक्षेत्रिक योजनायें तैयार करने का दायित्व स्थानीय निकाय को सौंपा गया है. अधिनियम की धारा ३८ एवं ५० में नगर विकास स्कीम लिये जाने के पूर्व परिक्षेत्रिक योजना के अंगीकृत होने की कोई पूर्व शर्त उल्लेखित नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा ५०(१) में प्रावधानित अनुसार विकास योजना में की प्रस्थापना को कार्यान्वित करने हेतु नगर विकास प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय एक या अधिक नगर विकास स्कीम तैयार करने की घोषणा की जा सकती है. अधिनियम में परिक्षेत्रिक योजनाओं एवं नगर विकास स्कीम के अंतर्संबंध को और अधिक स्पष्ट करने एवं प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही नगर विकास स्कीमों तथा भविष्य में घोषित की जाने वाली नगर विकास स्कीमों के अबाधित कार्यान्वयन हेतु एवं जिन मामलों में अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है उनमें स्पष्टता लाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक था. इसके अतिरिक्त अन्य आनुषंगिक संशोधन भी समीचीन थे.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक ३ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था.

> अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक ९ दिसम्बर 2016-अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19385-295-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 25 of 2016

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) VIDHEYAK, 2016.

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Section 2.
- 3. Amendment of Section 20.
- 4. Amendment of Section 50.
- 5. Amendment of Section 56
- 6. Validation.
- 7. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH BILL

No. 25 of 2016

THE MADHYA PRADESH NAGAR TATHA GRAM NIVESH (SANSHODHAN TATHA VIDHIMANYAKARAN) VIDHEYAK, 2016.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and its validation with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 2016.
 - (2) It shall be deemed to have come into force from 26th April, 1973.

Amendment of Section 2.

- 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, of 1973 (No. 23 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act),
 - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(g) "development plan" means a plan prepared and brought into operation under Sections 18 and 19;";
 - (ii) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(o-1) "plot" means any piece of land having a definite shape and size, and duly approved by the Director;".

Amendment of Section 20.

- 3. Section 20 of the Principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered the following new sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(2) Notwithstanding anything contained in this Act, where a zonal plan is not prepared under sub-section (1), the powers and functions provided under chapter VII may be exercised and performed for the town development schemes already notified. and implemented or being implemented, or to be notified and implemented in accordance with the development plan.".

Amendment of Section 50.

- 4. In Section 50 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (4), the words "and after considering the report of the ommittee constituted under sub-section (5)" shall be omitted;
 - (ii) sub-sections (5) and (6) shall be deleted.

Amendment of Section 56.

- 5. In section 56 of the principal Act, in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following Proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided further that any proceedings undertaken at any point of time for compulsory acquisition of land or any award passed in any land acquisition proceeding undertaken as per the provisions of this section, it shall be deemed to be proceedings undertaken under this Act or award Passed under this Act.".

6. Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of a court, all things done, proceedings and actions taken and orders passed by the competent authority under the relevant provisions of the principal Act as amended by this Amendment Act shall be and shall be deemed always to have been validly done, taken or passed as if the said competent authority were validly empowered under the relevant amended provisions before such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed and the validity of such thing, proceeding, action or order shall not be called into question in any court of law or before any authority whatsoever merely on the ground that such things were done, proceedings and actions were taken and orders were passed without the enabling provisions in this behalf in the principal Act.

Validation.

7. (1) The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Adhyadesh. 2016 (No. 3 of 2016) is hereby repealed.

Repeal and Saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyarn, 1973 provides for preparation and implementation of Regional Plans, Development Plans and, Zoning Plans. A Town and Country Development Authority is established under Section 38 of the Act for implementation of the provisions of the Development Plan. Sub-Section (2) of Section 38 said of the Act vests the duty to prepare one or more Town Development Schemes for the implementation of the proposals of the Development Plan in the Town and Country Development Authority, while Section 20 of the Act authorises the local authority to prepare the Zoning Plans. Section 38 and 50 of the Act do not contain any precondition of an approved Zoning Plan, before taking up any Town Development Scheme and Section 50 provides that the Town and Country Development Authority may at any time, declare its intention to prepare one or more Town Development Scheme. To clarify the inter-relationship between Zoning Plans and Town Development Schemes and to ensure smooth implementation of Town Development Schemes under implementation or to be notified in future, and to bring about clarity in the matters where compulsory land acquisition has been undertaken, suitable amendments are being proposed.

- 2. Necessary amendment is proposed in Section 2 for clarifying the definition of development plan in the Act. Definition of plot has been included in Section 2, thereby clarifying land, plot and reconstituted plot.
- 3. The schemes of Town and Country Development Authority having vast area and a lengthy procedure of acquisition, amendment in Section 56 is proposed so as to consider the procedure conducted for the purpose of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.
- 4. As the matter was urgent and the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not in session, the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan Tatha Vidhimanyakaran) Ordinance' 2016 (No. 3 of 2016) was promulgated for the purpose. It is now proposed to replace the said ordinance by an Act of the State Legislature without any modification.
 - 5. Hence this Bill.

Bhopal: Dated the 28th November, 2016

MAYA SINGH
Member-in-Charge.